



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (शा०)

(सं० पटना 836) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएँ

7 अक्टूबर 2016

एस० ओ० 273, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं :—

संशोधन

1. बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 में संशोधन— बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के नियम 3 के उप-नियम (3) में प्रयुक्त शब्द “सामान्यतः” को विलोपित किया जायेगा।

2. बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र—I में संशोधन।— बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007 के अधीन विहित प्रपत्र—I की क्रम सं० 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं० 1क, 1ख एवं 1ग जोड़ी जायेंगी, यथा—

“1क. पैन

1ख. मोबाइल संख्या

1ग. ई-मेल आई०डी०”

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3856]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

7 अक्टूबर 2016

एस० ओ० 274, एस० ओ० 273, दिनांक 7 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3857]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

The 7th October 2016

S.O. 273 dated the 7th October 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007 with immediate effect :-

Amendment

1. Amendment in Rule 3 of the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007- (1)

The word “ordinarily” used in sub-rule (3) of Rule 3 of the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007 shall be deleted.

2. Amendment in Form-I prescribed under the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007 :- After Sl. No. 1 in Form-I prescribed under the Bihar Tax on Advertisements Rules, 2007 the following Sl. No. 1A, 1B and 1C shall be added, namely:-

- “1A. PAN
- 1B. Mobile No.
- 1C. E-mail I.D.”

[F. No. Bikri-Kar/Sansodhan-03/2016- 3856]

By order of the Governer of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 836-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>